राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1873/2014/पाली

श्री ब्लूकोट प्रा.लि.
द्वारा श्री राजेन्द्र जैन
तीसरी मंजिल,महर्षि काम्पलेक्स 5,सरदार पटेल कालानी,
अहमदाबाद .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–प्रथम, प्रतिकरापंवचन, पाली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थितः:
श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक :– 11.04.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विद्वान अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 002/आरवैट/पाली/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 19,746/–आरोपित की है, को यथावत रखा है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.02.2014 को ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान कर निर्धारण अधिकार द्वारा मैसर्स राजस्थान ट्रांसपोर्ट कोर, पाली के फर्म पर रखे माल के दस्तावेजों की जां पर पाया कि जी आर नम्बर 069577X 14 ब्ल्यूकोट 9995, जी आर नम्बर 069587X 13 ब्ल्यूकोट 9995 के दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण उक्त माल मैसर्स राजस्थान ट्रांसपोर्ट काम्पनी, पाली को सुपुर्द किया व बिना/वाद निस्तारण तक माल डिलीवर नहीं होने के निर्देश दिये। वक्त चेकिंग फर्म के मैनेजर ने मौखिक रूप से बताया कि पाया गया माल पेन्ट एवं वार्निस श्रेणी का है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि परिवहनित माल स्क्रीन अमलसन सोलवेन्ट एवं वार्निस में ही घोल कर बनाया जाता है अतः पेन्ट एवं वार्निस श्रेणी में अधिसूचित श्रेणी माल का माल पाया गया एवं उसके साथ वैट–47 नहीं पाया गया । राज्य में पेन्ट एवं वार्निस अधिसूचित माल की श्रेणी में होने से उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट–47 होना आज्ञापक है उसके अभाव में कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपठित नियम 53 का

उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया । नोटिस के जवाब में प्रस्तुत प्रत्युत्तर को सन्तोषजनक नहीं मानते हुए अधिसूचित माल का बिना घोषणा पत्र वैट–47 के आयाात किये जाने के कारण माल की कीमत रू. 65819/– पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 19746/–आरोपित की है। उक्त शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारीके समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2014 पारित किया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जोधपुर के लिए ब्ल्यूकोट प्रेषित किया था जो एक प्रकार का केमिकल है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उसे पेन्टस एवं वार्निश माना है,जिसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट–47 होना आवश्यक है। उनका कथन है कि वक्त परिवहनित पाया गया माल अधिसूचित माल की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट–47 का होना आवश्यकता नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी दिये गये नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर बताया गया है कि परिवहनित माल केमिकल है, जिसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट–47 आवश्यक नहीं है। उनका कथन है कि वक्त जांच जो माल वाहन में पाया गया है उसके सम्बन्ध में बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत की गई है, इसलिए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि परिवहनित माल एक्साईज कोट के साथ जिा– बाडी से सोलन (हरियाणा) के लिए ब्रान्च ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किया जा रहा था और एक्साईज कोड के अनुसार माल केमिकल है ना कि पेन्टस या वार्निश। उन्होंने कथन के समर्थन में एक्साईज के एच एस डी कोट को उद्धरित किया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही परिवहनित माल को पेन्ट व वानिर्श माना है,जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक एवं उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जांच पाये गये माल ब्लूकोट के सम्बन्ध में प्रस्तुत जी. आर. नम्बर

069577X14 9995 एवं 069587X13 अपूर्ण होने से एवं परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है,जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी का कथन है कि परिवहनित माल ब्लूकोट एक केमिकल है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे पेन्ट एवं वार्निश माना है जो अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में आने उसके परिवहन के समय घोषणा पत्र वैट–47 होना आज्ञापक है, उसके अभाव में अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है।

प्रकरण में निर्णय हेतु यह बिन्दु है कि ब्लूकोट केमिकल है या पेन्ट एवं वार्निश? वारनिश एवं पेन्ट वह पदार्थ है जो लकडी तथा अन्य कुछ पदार्थो पर लगाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा हो, सुन्दर दिखे, कीटों से रक्षा हो तथा तल धातुओं पर हो तो उस पर वायु, जल प्रकाश आदि से सुरक्षा कर खराब होने से बचाया जा सके। जबकि परिवहनित माल ब्लूकोट 999जे–बकेट –25केजी(बी) HARDNER BRASSO-30 LTR SENSITIZER-1LTR(B) पाया गया है, जिसका उपयोग परत के रूप में किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी ने परिवहनित माल वाटर बेस्ड उत्पाद होना जाहिर करते हुए उसे पेन्ट व वारनिश की श्रेणी में माना है, जो उचित प्रतीत होता है कि क्योंकि HARDNER BRASSO-30 LTR SENSITIZER-1LTR(B) का उपयोग परत के रूप में किया जाता है तथा उक्त माल को वाटर बेस्ड उत्पादन होना जाहिर किया गया है, जो पेन्टस व वारनिश की श्रेणी में आता है। वारनिश एवं पेन्ट वह पदार्थ है, जो लकडी के ऊपर लगाया जाता है,जिसको लगाने के पश्चात लकडी पर एक परत बनती है,जो लकडी की सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ सुन्दर भी दिखती है । उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि HARDNER BRASSO-30 LTR SENSITIZER-1LTR(B) व पेन्ट या वारनिश उक्त दोनों वस्तुओं का उपयोग एक समान है, क्योंकि दोनों वस्तुओं का कार्य लकडी के ऊपर परत बनाकर उसकी सुरक्षा करना है । इस तथ्य को अपीलीय अधिकारी ने विश्लेषित करते हुए अपीलाधीन अपील में विवादित माल को पेन्ट व वारनिश की श्रेणी में शुमार होना मानते हुए अधिसूचित माल माना है, जिसके राज्य के बाहर से आयात करने पर उसके साथ घोषणा पत्र वैट–47 होना आवश्यक है, उक्त घोषणा पत्र के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है।

फलतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए अपलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)